

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या- 01/2025

1. राजबाला देवी पत्नी लीलाराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
2. गिरिराज पुत्र लीलाराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज. नाबालिग जरिये संरक्षक माता राजबाला देवी पत्नी लीलाराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
2. इन्द्राज पुत्र जयमल जाति गुर्जर निवासी नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
3. सुभाष पुत्र जयमल जाति गुर्जर निवासी नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

.....रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 12.03.2025
ग्राम पंचायत नांगलिया गुर्जरवास द्वारा खारिज करने
नामांतरकण सं. 1431 दिनांक 21.02.2025


उपस्थित अधिवक्ता :- श्री हवासिंह निर्वाण – अपीलाण्ट की ओर से

:: निर्णय ::

दिनांक 25.06.2025



अपीलाण्ट की ओर से अपील के आधारों से पूर्व प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने दिनांक 27.05.2024 को रेस्पोडेण्ट सं. 2 व 3 से ग्राम नांगलिया गुर्जरवास स्थित जमाबन्दी संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 192 के ख.नं. 852 रकबा 0.16 है., ख.नं. 871 रकबा 0.48 है. कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.64 है. में 2/6 भाग की भूमि में से 0.16 है. भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.05.2024 को खरीद की थी तथा अपीलान्ट अपनी उक्त खरीद शुदा भूमि पर खरीद की दिनांक से बहैसियत मालिक काबिज चले आ रहे हैं। अपीलान्ट ने अपनी उक्त खरीद शुदा भूमि का नामांतरकरण दर्ज करवाने हेतु विक्रय पत्र की एक प्रति पट्टा नं. 1431


उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

नांगलिया गुर्जरवास को पेश की जिस पर पटवार हल्का नांगलिया गुर्जरवास ने दिनांक 21.02.2025 को नामांतरकण सं. 1431 दर्ज कर वास्ते जांच एवं निर्णय हेतु अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.03.2025 को सरपंच ग्राम पंचायत नांगलिया गुर्जरवास के समक्ष पेश की। ग्राम पंचायत नांगलिया गुर्जरवास की ग्राम सभा में पेश किया जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत ने दिनांक 12.03.2025 को खारिज कर दिया। रेस्पोंडेन्ट सं. 1 के द्वारा नामांतरकरण संख्या 1431 दिनांक 21.02.2025 ग्राम नांगलिया गुर्जरवास को खारिज करने का आदेश दिनांक 12.03.2025 विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर सरपंच ग्राम पंचायत नांगलिया गुर्जरवास द्वारा नामांतरकरण संख्या 1431 दिनांक 21.02.2025 को खारिज करने का आदेश दिनांक 12.03.2025 को निरस्त किया जाकर नामांतरकरण सं. 1431 को स्वीकार किये जाने का आदेश देने की कृपा करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टस को तलबी जारी की गई। रेस्पोंडेन्ट सं. 2 व 3 ने स्वयं उपस्थित होकर इकबालिया जवाब अपील प्रस्तुत कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तो रेस्पोंडेन्ट सं. 2 व 3 को कोई आपत्ति नहीं है। रेस्पोंडेन्ट सं. 1 बावजूद इत्तला अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्त सुनी गई। अपील में वर्णित तथ्य आधारों पर गौर किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख नकल नामान्तरकरण सं. 1431 दिनांक 21.02.2025, नकल जमाबंदी संवत् 2073-2076 खाता सं. 192 ग्राम नांगलिया गुर्जरवास, फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 27.05.2024 के अवलोकन से स्पष्ट साबित है कि विक्रय पत्र रेस्पोंडेन्टस सं. 2 व 3 ने अपीलान्त के हक में निष्पादित किया गया है जबकि उक्त विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया गया नामान्तरकरण रेस्पों. 1 द्वारा तस्दीक की कार्यवाही में विधिक प्रक्रिया में त्रुटि रही है। अतः अपीलान्त की अपील साबित होने पर स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं. 1431 ग्राम पंचायत नांगलिया गुर्जरवास दिनांक 21.02.2025 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार खेतड़ी को प्रति प्रेषित इस निर्देश के साथ किया जाता है कि नियमानुसार प्रकरण में पत्रावली में संलग्न प्रतिलिपि विक्रय विलेख दिनांक 27.05.2024 के संदर्भ में परीक्षण कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला बुन्देलखण्ड